एवी-24018/14/2015-एडी
भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
'एडी' अनुभाग

'बी' ब्लॉक, राजीव गांधी भवन,
नई दिल्ली, दिनांक: 13.03.2026

सेवा में,

अध्यक्ष,
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,
आर.जी. भवन, नई दिल्ली।

विषय: असम के कछार जिले के डोलू में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के विकास हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) को 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

मुझे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के यूओ नोट सं. एएआई/03/24/2015-II(पी)/99-101 दिनांक 25.11.2025, जिसमें असम के कछार जिले के डोलू में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना हेतु 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, का संदर्भ लेने तथा सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु एतदद्वारा '**सैद्धांतिक**' **प्रमाण-पत्र** संलग्न कर प्रेषित करने का निदेश हुआ है।

भवदीय,

संलग्नक: यथोपरोक्त

(शंखेश मेहता)
निदेशक
दूरभाष: 011-24653750

संलग्न: यथोपरोक्त।

प्रतिलिपि:-

मुख्य सचिव, असम सरकार, न्यू सीएम ब्लॉक, तृतीय तल, जनता भवन, दिसपुर, गुवाहाटी-6

प्रतिलिपि सूचनार्थः-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
2. सचिव, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
3. सचिव, रक्षा मंत्रालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, कर्तव्य भवन-1, नई दिल्ली।
5. सचिव, राजस्व विभाग, कर्तव्य भवन-1, नई दिल्ली।
6. महानिदेशक, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए), सफदरजंग हवाईअड्डे के सामने, नई दिल्ली।
7. अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली।
8. महानिदेशक, भारत मौसम विज्ञान विभाग, लोधी रोड, नई दिल्ली।
9. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली।
10. अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (एईआरए), सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली।
11. महानिदेशक, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस), सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली।

भारत सरकार
नागर विमान मंत्रालय

सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करना

आवेदन संख्याः **सं. एवी-20021/2/2015-एएआई (एडी)**
आवेदक का नामः अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

पता: राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली - 110003

निर्णय: सक्षम प्राधिकारी ने असम के कछार जिले के डोलू में सार्वजनिक उपयोग हेतु ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना के लिए रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, राजस्व विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नीति आयोग, भारत मौसम विज्ञान विभाग, नागर विमानन महानिदेशालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो तथा भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण द्वारा साइट क्लियरेंस/सैद्धांतिक अनुमोदन के चरण में निर्धारित शर्तों/पर्यवेक्षणों, दिनांक 26.02.2026 को आयोजित ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों संबंधी विषय-निर्वाचन समिति की बैठक में की गई टिप्पणियों के अनुपालन, अन्य केंद्रीय सरकारी एजेंसियों द्वारा यदि कोई टिप्पणियाँ/शर्तें निर्धारित की गई हों तो उनके अनुपालन, विमानपत्तन अवसंरचना नीति, 1997/ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा नीति, 2008 के प्रावधानों के अनुपालन तथा नागर विमानन मंत्रालय द्वारा देश में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना संबंधी समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अधीन 'सैद्धांतिक' स्वीकृति प्रदान की है।

'सैद्धांतिक' स्वीकृति प्रदान किए जाने की शर्तें

(i) परियोजना का विकास राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (एनसीएपी), 2016 तथा नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) द्वारा समय-समय पर जारी किसी अन्य नीति के अनुसार किया जाना चाहिए।

(ii) आवेदक को सभी विनियामक/सरकारी एजेंसियों के साथ आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी करनी होंगी।

(iii) आवेदक द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से आवश्यकतानुसार यथापेक्षित अनुमोदन/अनापत्ति प्रमाण-पत्र/स्वीकृतियाँ प्राप्त की जाएँगी। साइट पर किसी भी प्रकार की पूर्व-विकास गतिविधि प्रारंभ करने से पूर्व इसका कड़ाई से पालन किया जाना आवश्यक होगा।

(iv) भारत में कंपनी के प्रबंधन में वरिष्ठ निर्णय-निर्धारण पदों पर नियुक्त किए जाने वाले विदेशी नागरिकों/भारतीय प्रतिनिधियों (गैर-सरकारी सेवकों) के लिए गृह मंत्रालय (MHA)/आसूचना ब्यूरो (IB) तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के माध्यम से आवश्यक सुरक्षा अनापत्ति प्राप्त की जाएगी।

(v) हवाईअड्डा प्रमुख योजना में प्रारंभ से ही ऐसे अभिकल्प/मानकों को सम्मिलित करते हुए कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के उपाय किए जाएँ ताकि नेट ज़ीरो लक्ष्य प्राप्त किया जा सके, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 100% हरित ऊर्जा का उपयोग भी शामिल हो।

(vi) परियोजना प्रस्तावक/हवाईअड्डा विकासकर्ता, नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) की प्रासंगिक नागर विमानन अपेक्षाओं (Civil Aviation Requirements) खण्ड-4, श्रृंखला-'च', भाग-I, दिनांक 16.10.2006 तथा उसमें समय-समय पर किए गए संशोधनों का अनुपालन करेगा।

(vii) आवेदक को इस प्रमाण-पत्र के जारी होने की तिथि से पाँच (5) वर्ष के भीतर विकास कार्य प्रारंभ करना होगा। यदि पाँच (5) वर्ष के भीतर विकास कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है अथवा परियोजना मूल प्रस्ताव से भिन्न पाई जाती है, तो यह प्रमाण-पत्र बिना किसी अन्य सूचना के स्वतः निरस्त एवं अमान्य माना जाएगा। आवश्यकता होने पर नए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन हेतु आवेदन करना तथा उसे प्राप्त करना आवेदक की जिम्मेदारी होगी।

(शंखेश मेहता)
निदेशक
दूरभाष: 011-24653750

दिनांक: 13.03.2026